



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 06 / 2026(202601135900010)

दर्ज तिथि:-08.01.2026

1. जयकिशन पुत्र फगलूराम
 2. गणपत लाल पुत्र भाखराराम
 3. वीरमाराम पुत्र फगलूराम
 4. मांगीलाल पुत्र फगलूराम
 5. रूखमणी पत्नी जगमाल
 6. कमला पत्नी रामलाल
 7. अनिल पुत्र रामलाल नाबालिग की वालिदा वादीनी संख्या 6
 8. सुनिल पुत्र रामलाल नाबालिग की वालिदा वादीनी संख्या 6
 9. सोहनी पत्नी भागीरथराम
 10. वर्षा पुत्री भागीरथराम नाबालिग की वालिदा वादीनी संख्या 9
 11. संतोष पुत्री भागीरथराम नाबालिग की वालिदा वादीनी संख्या 9
 12. सरला पुत्री भागीरथराम नाबालिग की वालिदा वादीनी संख्या 9
 13. सरोज पुत्र भागीरथराम नाबालिग की वालिदा वादीनी संख्या 9
- जाति विश्नोई निवासी पादरड़ी खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा

.....वादीगण

बनाम

1. बाबु पुत्र चौखाराम
 2. तेजाराम पुत्र चौखाराम
 3. भुरी पत्नी हरचंद
 4. राजूराम पुत्र भाखराराम
 5. चनणीदेवी पत्नी भाखराराम
 6. खीवणी पत्नी तेजाराम
- जाति विश्नोई निवासी पादरड़ी खुर्द तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

7. मैनेजर एस0 बी0 आई शाखा गुड़ामालानी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री प्रगाराम बोगराज

प्रतिवादीगण:- श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



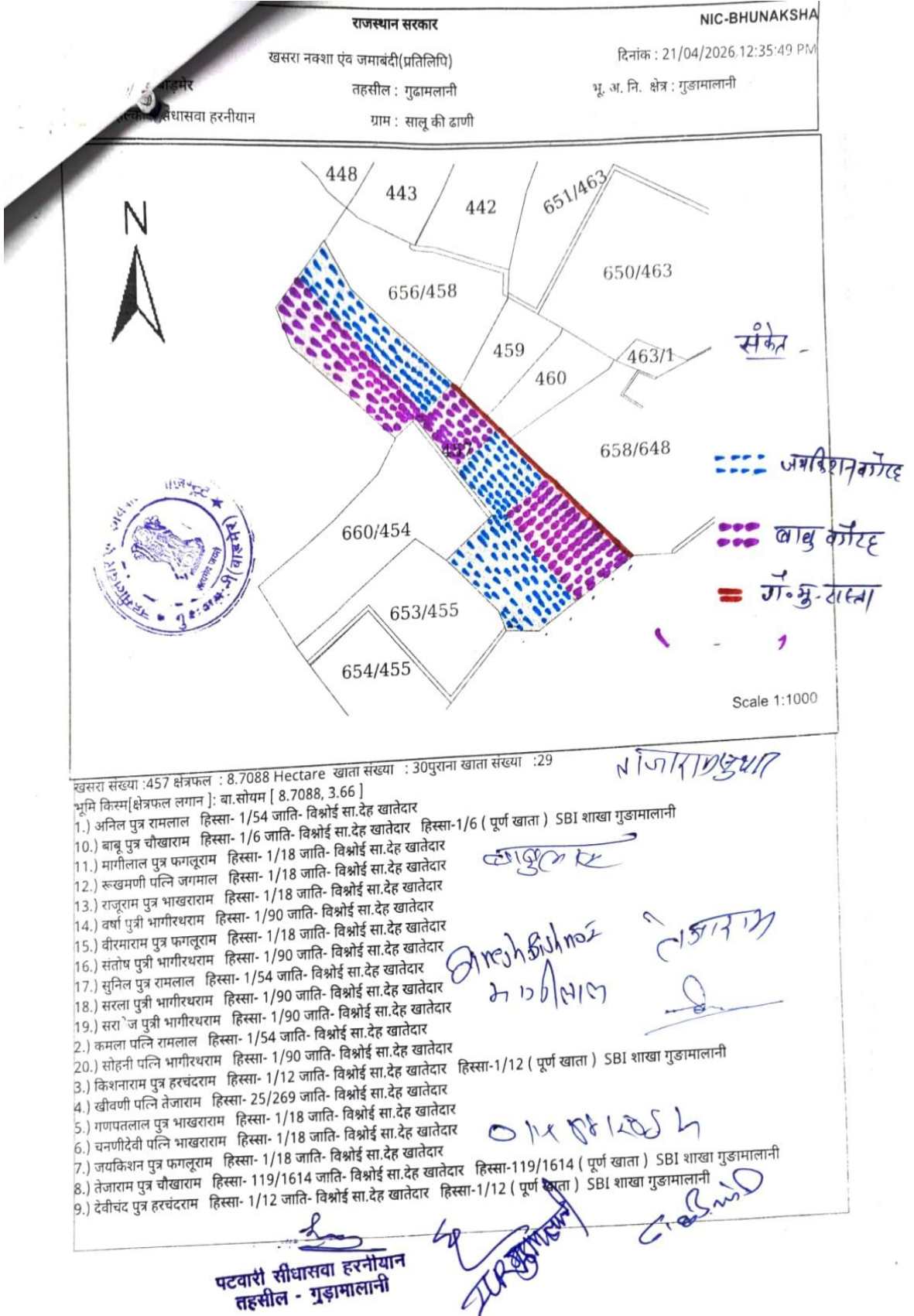
—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-11.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण में दिनांक 30.03.2026 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई।
2. तत्पश्चात् तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2367 दिनांक 24.04.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के प पत्रांक/कोर्ट/2026/2367 दिनांक 24.04.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

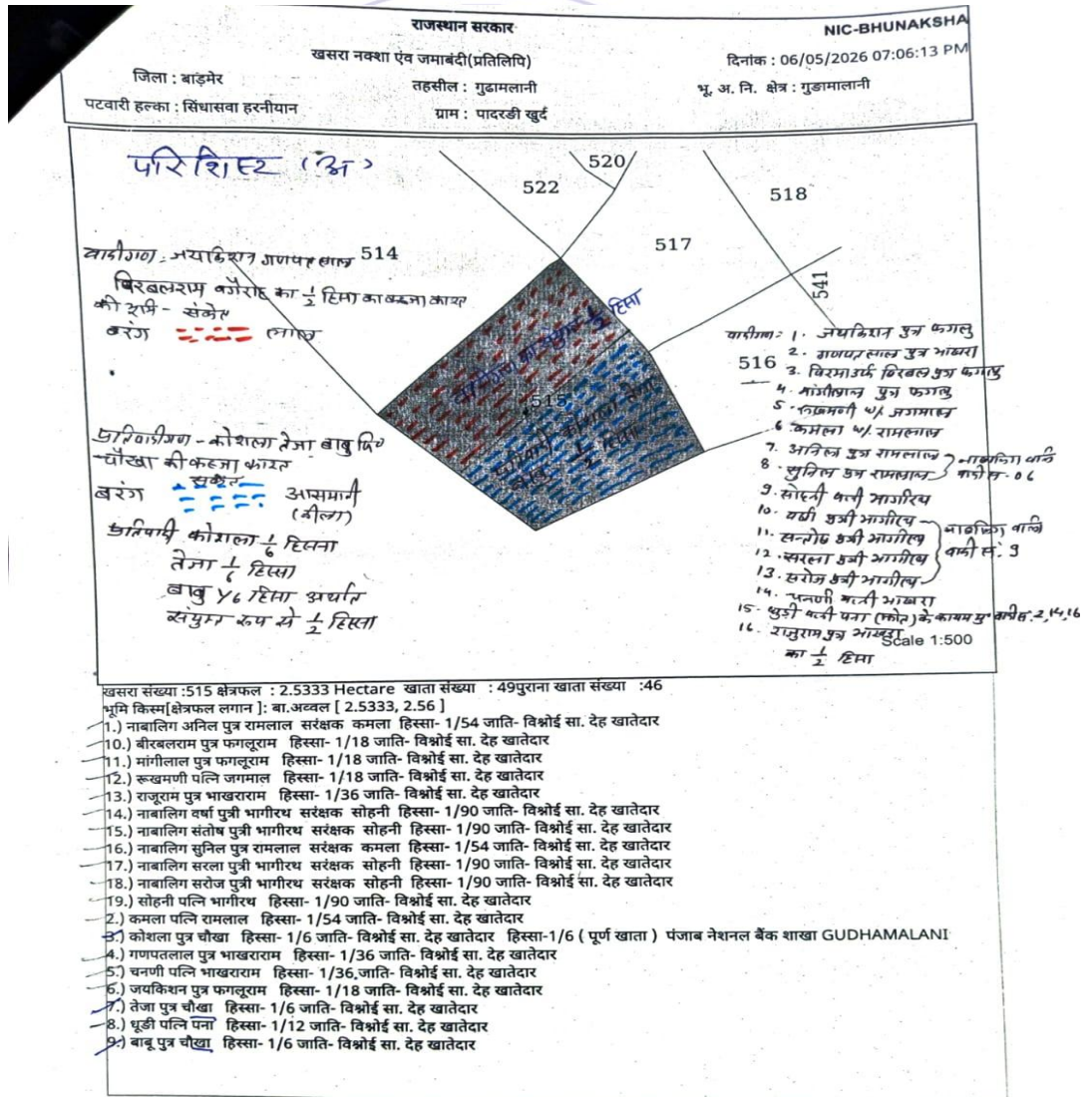
प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. <i>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i>	प्रकरण में दिनांक 20.04.2026 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2917-2929 दिनांक 16.04.2026 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 20.04.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2917-2929 दिनांक 16.04.2026 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 20.04.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में उक्त मौका रिपोर्ट का नजरी नक्शा निम्न प्रकार है:-



4. वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस प्रकरण में निम्न प्रकार राजीनामा प्रस्तुत किया गया:-

- कि विवादित आराजी मौजा सालू की ढाणी के खसरा संख्या 457 रकबा 8.7088 है0 कृषि भूमि आई हुई है।
- कि सहमति अनुसार पड़ौसी पवन वगैरह को अपने खेत जाने हेतु रास्ते के रूप में भूमि संयुक्त खाते में से वादीगण एवं प्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर कम की जावेगी।
- कि खसरा संख्या 457 जो गैर मुमकिन रास्ता नजरिये मौका कब्जा कुर्रजात में आई रिपोर्ट मुताबिक प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से आने वाली भूमि में से कम की जायेगी। भूमि सभी संयुक्त खातों में उसी हिसाब से सेढे एडजस्ट किये जाने की पूर्ण सहमति रहेगी।
- कि ग्राम पादरड़ी खुर्द खसरा संख्या 515 रकबा 2.5333 है0 का समझौता पत्र में संलग्न परिशिष्ट-अ मुताबिक विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगणों का स्वीकार किया गया है।
- कि उक्त प्रकरण में सहमति होने से उपरोक्त बिन्दुवार समझौता स्वीकार कर वाद अंतिम डिक्री किया जावे। जिसका नक्शा निम्न प्रकार है:-



जयकिशन
जयकिशन

बाबू

5. वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074-2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 457/8.7088 है0 ग्राम सालु की ढाणी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान एवं खसरा संख्या 515 रकबा 2.5333 है0 मौजा पादरड़ी खुर्द तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति तथा उभयपक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति तथा उभयपक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा को ध्यान में रखते हुए डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः

आदेश है कि
 दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53,
 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत
 तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा कुर्रेजात रिपोर्ट
 पर सहमति तथा उभयपक्षकारान के मध्य हुए
 राजीनामा को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया
 जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 457/8.
 7088 है0 ग्राम सालु की ढाणी पटवार मण्डल
 सिंधासवा हरनियान जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात
 रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस तथा खसरा संख्या 515/2.
 5333 है0 मौजा पादरड़ी खुर्द पटवार हल्का सिंधासवा
 हरनियान का विभाजन उभय पक्षकारान की सहमति
 से प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' व नीचे अंकित तालिकानुसार
 दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य
 राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए
 अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के
 आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
बाबू पुत्र चौखाराम	1/3	सालू की ढाणी	457	1.7665 है0	बा0सो0
तेजाराम पुत्र चौखाराम	119/807				
खीवणी पत्नी तेजाराम	50/269				
देवीचंद पुत्र हरचंदराम	1/6				
किशनाराम पुत्र हरचंदराम	1/6				

राहिन हिस्सा बाबु, तेजाराम, देवीचंद, किशनाराम एसबीआई गुड़ा					
कुल किता 01 रकबा 1.7665 है0					
बाबू पुत्र चौखाराम	1 / 3	सालू की ढाणी	457	2.3573 है0	बा0सो0
तेजाराम पुत्र चौखाराम	119 / 807				
खीवणी पत्नी तेजाराम	50 / 269				
देवीचंद पुत्र हरचंदराम	1 / 6				
किशनाराम पुत्र हरचंदराम	1 / 6				
कुल किता 01 रकबा 2.3573 है0					
अनिल पुत्र रामलाल	1 / 27	सालू की ढाणी	457	2.6304 है0	बा0सो0
कमला पत्नी रामलाल	1 / 27				
गणपतलाल पुत्र भाखराराम	1 / 9				
चनणीदेवी पत्नी भाखराराम	1 / 9				
जयकिशन पुत्र फगलूराम	1 / 9				
मांगीलाल पुत्र फगलूराम	1 / 9				
रुखमणी पत्नी जगमाल	1 / 9				
राजू पुत्र भाखराराम	1 / 9				
वर्षा पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
वीरमाराम पुत्र फगलूराम	1 / 9				
संतोष पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
सुनील पुत्र रामलाल	1 / 27				
सरला पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
सरोज पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
सोहनी पत्नी भागीरथराम	1 / 45				
कुल किता 01 रकबा 2.6304 है0					
अनिल पुत्र रामलाल	1 / 27	सालू की ढाणी	457	1.7240 है0	बा0सो0
कमला पत्नी रामलाल	1 / 27				
गणपतलाल पुत्र भाखराराम	1 / 9				
चनणीदेवी पत्नी भाखराराम	1 / 9				
जयकिशन पुत्र फगलूराम	1 / 9				
मांगीलाल पुत्र फगलूराम	1 / 9				
रुखमणी पत्नी जगमाल	1 / 9				
राजू पुत्र भाखराराम	1 / 9				
वर्षा पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
वीरमाराम पुत्र फगलूराम	1 / 9				
संतोष पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
सुनील पुत्र रामलाल	1 / 27				
सरला पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
सरोज पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
सोहनी पत्नी भागीरथराम	1 / 45				
कुल किता 01 रकबा 1.7240 है0					

गैर मुमकिन रास्ता	पूर्ण	सालु की ढाणी	457	0.2306 है0	गै0मु0
कुल किता 01 रकबा 0.2360 है0 गैर मुमकिन रास्ता					
कोशला पुत्र चौखा	1 / 2	पादरड़ी खुर्द	515	2.7667 है0	बा0अ0
तेजा पुत्र चौखा					
बाबू पुत्र चौखा					
राहिन कोशला का हि0 पीएनबी गुड़ामालानी					
कुल किता 01 रकबा 1.2667 है0					
नाबालिग अनिल पुत्र रामलाल संरक्षक कमला	1 / 2	पादरड़ी खुर्द	515	2.7666 है0	बा0अ0
कमला पत्नी रामलाल					
गणपतलाल पुत्र भाखराराम					
चनणी पत्नी भाखराराम					
जयकिशन पुत्र फगलूराम					
धुड़ी पत्नी पना					
बीरबलराम पुत्र फगलूराम					
मांगीलाल पुत्र फगलूराम					
रुखमणी पत्नी जगमाल					
राजूराम पुत्र भाखराराम					
नाबालिग वर्षा पुत्री भागीरथ संरक्षक सोहनी					
नाबालिग संतोष पुत्री भागीरथ संरक्षक सोहनी					
नाबालिग सुनील पुत्र रामलाल संरक्षक कमला					
नाबालिग सरला पुत्री भागीरथ संरक्षक सोहनी					
नाबालिग सरोज पुत्री भागीरथ संरक्षक सोहनी					
सोहनी पत्नी भागीरथ जातियान विश्नोई सा0 देह खातेदार					
कुल किता 01 रकबा 2.7666 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात एवं उभयपक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा तथा परिशिष्ट—अ निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुड़ामालानी





न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 06 / 2026(202601135900010)

दर्ज तिथि:-08.01.2026

1. जयकिशन पुत्र फगलूराम
 2. गणपत लाल पुत्र भाखराराम
 3. वीरमाराम पुत्र फगलूराम
 4. मांगीलाल पुत्र फगलूराम
 5. रूखमणी पत्नी जगमाल
 6. कमला पत्नी रामलाल
 7. अनिल पुत्र रामलाल नाबालिग की वालिदा वादीनी संख्या 6
 8. सुनिल पुत्र रामलाल नाबालिग की वालिदा वादीनी संख्या 6
 9. सोहनी पत्नी भागीरथराम
 10. वर्षा पुत्री भागीरथराम नाबालिग की वालिदा वादीनी संख्या 9
 11. संतोष पुत्री भागीरथराम नाबालिग की वालिदा वादीनी संख्या 9
 12. सरला पुत्री भागीरथराम नाबालिग की वालिदा वादीनी संख्या 9
 13. सरोज पुत्र भागीरथराम नाबालिग की वालिदा वादीनी संख्या 9
- जाति विश्नोई निवासी पादरड़ी खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा

.....वादीगण

बनाम

1. बाबु पुत्र चौखाराम
 2. तेजाराम पुत्र चौखाराम
 3. भुरी पत्नी हरचंद
 4. राजूराम पुत्र भाखराराम
 5. चनणीदेवी पत्नी भाखराराम
 6. खीवणी पत्नी तेजाराम
- जाति विश्नोई निवासी पादरड़ी खुर्द तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

7. मैनेजर एस0 बी0 आई शाखा गुड़ामालानी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री प्रगाराम बोगराज

प्रतिवादीगण:- श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति तथा उभयपक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 457/8. 7088 है0 ग्राम सालू की ढाणी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस तथा खसरा संख्या 515/2. 5333 है0 मौजा पादरड़ी खुर्द पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान का विभाजन उभय पक्षकारान की सहमति से प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' व नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
बाबू पुत्र चौखाराम	1 / 3	सालू की ढाणी	457	1.7665 है0	बा0सो0
तेजाराम पुत्र चौखाराम	119 / 807				
खीवणी पत्नी तेजाराम	50 / 269				
देवीचंद पुत्र हरचंदराम	1 / 6				
किशनाराम पुत्र हरचंदराम	1 / 6				
राहिन हिस्सा बाबु, तेजाराम, देवीचंद, किशनाराम एसबीआई गुड़ा					
कुल किता 01 रकबा 1.7665 है0					
बाबू पुत्र चौखाराम	1 / 3	सालू की ढाणी	457	2.3573 है0	बा0सो0
तेजाराम पुत्र चौखाराम	119 / 807				
खीवणी पत्नी तेजाराम	50 / 269				
देवीचंद पुत्र हरचंदराम	1 / 6				
किशनाराम पुत्र हरचंदराम	1 / 6				
कुल किता 01 रकबा 2.3573 है0					
अनिल पुत्र रामलाल	1 / 27	सालू की ढाणी	457	2.6304 है0	बा0सो0
कमला पत्नी रामलाल	1 / 27				
गणपतलाल पुत्र भाखराराम	1 / 9				
चनणीदेवी पत्नी भाखराराम	1 / 9				
जयकिशन पुत्र फगलूराम	1 / 9				
मांगीलाल पुत्र फगलूराम	1 / 9				

रुखमणी पत्नी जगमाल	1 / 9				
राजू पुत्र भाखराराम	1 / 9				
वर्षा पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
वीरमाराम पुत्र फगलूराम	1 / 9				
संतोष पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
सुनील पुत्र रामलाल	1 / 27				
सरला पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
सरोज पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
सोहनी पत्नी भागीरथराम	1 / 45				
कुल किता 01 रकबा 2.6304 है0					
अनिल पुत्र रामलाल	1 / 27	सालू की ढाणी	457	1.7240 है0	बा0सो0
कमला पत्नी रामलाल	1 / 27				
गणपतलाल पुत्र भाखराराम	1 / 9				
चनणीदेवी पत्नी भाखराराम	1 / 9				
जयकिशन पुत्र फगलूराम	1 / 9				
मांगीलाल पुत्र फगलूराम	1 / 9				
रुखमणी पत्नी जगमाल	1 / 9				
राजू पुत्र भाखराराम	1 / 9				
वर्षा पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
वीरमाराम पुत्र फगलूराम	1 / 9				
संतोष पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
सुनील पुत्र रामलाल	1 / 27				
सरला पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
सरोज पुत्री भागीरथराम	1 / 45				
सोहनी पत्नी भागीरथराम	1 / 45				
कुल किता 01 रकबा 1.7240 है0					
गैर मुमकिन रास्ता	पूर्ण	सालु की ढाणी	457	0.2306 है0	गै0मु0
कुल किता 01 रकबा 0.2360 है0 गैर मुमकिन रास्ता					
कोशला पुत्र चौखा	1 / 2	पादरड़ी खुर्द	515	2.7667 है0	बा0अ0
तेजा पुत्र चौखा					
बाबू पुत्र चौखा					
राहिन कोशला का हि0 पीएनबी गुड़ामालानी					
कुल किता 01 रकबा 1.2667 है0					
नाबालिग अनिल पुत्र रामलाल संरक्षक कमला	1 / 2	पादरड़ी खुर्द	515	2.7666 है0	बा0अ0
कमला पत्नी रामलाल					
गणपतलाल पुत्र भाखराराम					
चनणी पत्नी भाखराराम					
जयकिशन पुत्र फगलूराम					
धुड़ी पत्नी पना					

बीरबलराम पुत्र फगलूराम					
मांगीलाल पुत्र फगलूराम					
रुखमणी पत्नी जगमाल					
राजूराम पुत्र भाखराराम					
नाबालिग वर्षा पुत्री भागीरथ संरक्षक सोहनी					
नाबालिग संतोष पुत्री भागीरथ संरक्षक सोहनी					
नाबालिग सुनील पुत्र रामलाल संरक्षक कमला					
नाबालिग सरला पुत्री भागीरथ संरक्षक सोहनी					
नाबालिग सरोज पुत्री भागरथ संरक्षक सोहनी					
सोहनी पत्नी भागीरथ जातियान विश्नोई सा0 देह खातेदार					
कुल किता 01 रकबा 2.7666 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रजात एवं उभयपक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा तथा परिशिष्ट-अ निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 11.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी